

प्रेस नोट दिनांक-23.04.2025

थाना साइबर क्राइम जनपद चंदौली

◆थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा 02 पीड़ितों के साथ फ्राड हुयी कुल धनराशि-60,000/-रुपये पीड़ितों को वापस कराई गई।

चंदौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांगे के निर्देशानुसार, नोडल साइबर क्राइम/पुलिस अधीक्षक अनन्त चन्द्रशेखर के निर्देशन में एवं पुलिस उपाधीक्षक राजीव सिसौदिया के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम गगनराज सिंह के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर क्राइम के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद चन्दौली के साइबर क्राइम थाना द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही के इस सप्ताह में कुल 36 शिकायतें आनलाइन/आफलाइन प्राप्त हुई है। जिसमें 02 शिकायकर्ताओं के फ्राड हुयी कुल धनराशि 60,000रु० को वापस कराया गया। पीड़ित शिकायतकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली, नोडल साइबर क्राइम, साइबर प्रभारी एवं साइबर क्राइम टीम जनपद चन्दौली का आभार व्यक्त किया। अन्य प्रार्थनापत्रों आवश्यक में कार्यवाही प्रचलित है।

वापस कराई गई धनराशि-

कुल धनराशि-60,000/-रुपये

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह थाना साइबर क्राइम जनपद चंदौली
- 2.हे०का० पवन यादव थाना साइबर क्राइम जनपद चंदौली
- 3.का० सन्तोष कुमार यादव थाना साइबर क्राइम जनपद चंदौली
- 4.का० मनोज कुमार चौहान थाना साइबर क्राइम जनपद चंदौली।

थाना इलिया जनपद चन्दौली

◆ थाना इलिया पुलिस द्वारा पैदल हांककर वध हेतु बिहार ले जा रहे 05 राशि गोवंशीय पशु को बरामद कर 01 अन्तर्राज्यीय पशु तस्कर को किया गया गिरफ्तार

चंदौली- श्री मोहित गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में आदित्य लांगे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा गौतस्करी को रोकने के लिए लगातार चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन दिगम्बर कुशवाहा व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसौदिया के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह इलिया के कुशल नेतृत्व में 30नि0 रविन्द्र कुमार सिंह अपने हमराही पुलिस टीम के साथ दिनांक 23.04.2025 को उस समय सफलता मिली जब अभियुक्त द्वारा पैदल खेत व नहर के रास्ते 05 राशि गोवंशीय पशुओ को क्रूरतापूर्वक बांधकर पैदल हांककर बिहार ले जाया जा रहा था कि डेहरीकला गेट के पास खेत बहद ग्राम डेहरी कलाँ से 05 राशि गोवंशीय पशुओ को बरामद करते हुए 01 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 26/2025 धारा 3/5बी/8 गोवध नि0 अधि व 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

डेहरीकला गेट के पास खेत में बहद ग्राम डेहरीकला बाफासला 02 किमी दक्षिण दिनांक 23.04.2025 समय 06.30 बजे।

नाम पता अभियुक्त-

1.यासीन अंसारी पुत्र जब्बार अंसारी निवासी ग्राम केरायगाँव थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली उम्र करीब 36 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 26/2025 धारा 3/5बी/8 गोवध नि0 अधि व 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 2.मु0अ0सं0 107/2015 धारा 3/5ए/8 गोवध नि0 अधि व 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम थाना इलिया जनपद चन्दौली।

विवरण बरामदगी-

05 राशि गोवंश

गिरफ्तारी व बरामदगी की पुलिस टीम-

- 1.थानाध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 2.30नि0 रविन्द्र कुमार सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 3.30नि0 सुरेन्द्रनाथ सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 4.हे0का0 हरिकिशन प्रजापति थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 5.का0 आलोक सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 6.का0 अम्बुज यादव थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 7.का0 दुर्गाविजय वर्मा थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 8.का0 राम सूरत चौहान थाना इलिया जनपद चन्दौली।

थाना चन्दौली

◆ चेकिंग अभियान के दौरान चन्दौली कोतवाली पुलिस ने 03 गौ-तस्करों को किया गया गिरफ्तार।

◆ 01 मैजिक वाहन से 03 गौवंशों की तस्करी करने के दौरान की गई गिरफ्तारी/बरामदगी

चंदौली- श्री मोहित गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में आदित्य लांगे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा गौतस्करी को रोकने के लिए लगातार चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी चन्दौली की टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 मैजिक वाहन से 03 गौवंशों को बरामद किया गया तथा तस्करी में संलिप्त 03 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 22.04.2025 को थाना चन्दौली के उ0नि0 राजेन्द्र यादव व उ0नि0 रावेन्द्र सिंह को सूत्रों से सूचना मिली कि एक टाटा मैजिक वाहन में गोवंश लादकर नसीरपुर से कोडरिया के रास्ते सकलडीहा रोड होते हुये बिहार ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा कोडरिया रोड पर घेराबंदी कर चेकिंग प्रारम्भ की गई। कुछ देर बाद एक मैजिक गाड़ी बिछिया से कोडरिया की तरफ आते हुये दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा वाहन को रोकने का इशारा किया गया जिसपर चालक वाहन खड़ा कर खेतों में भागने लगा। पुलिस टीम के उ0नि0 रावेन्द्र सिंह व का० दिलीप कुमार द्वारा भाग रहे व्यक्ति को दौड़ाकर पकड़ लिया गया तथा शेष पुलिस टीम द्वारा गाड़ी के केबिन में बैठे 02 व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। बरामद मैजिक वाहन UP65CT9535 की तलाशी के दौरान क्रूरता पूर्व बांधी गयी 03 गायों को मुक्त कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान क्रमश:-

1. सुनील प्रजापति पुत्र गुल्लू प्रजापति नि० जेवरी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली उम्र करीब 32 वर्ष
 2. आनन्द यादव पुत्र केशी यादव नि० जेवरी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली उम्र 25 वर्ष
 3. चालक सूरज प्रजापति पुत्र स्व० बहादुर प्रजापति नि० जेवरी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली उम्र करीब 21 वर्ष के रूप में हुयी।
- अभियुक्तों की तलाशी के दौरान 3 मोबाईल फोन बरामद हुआ। अभियुक्तों को समय करीब 21.40 बजे अन्तर्गत धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि० अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ विवरण:-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि गायों को कम संख्या में किसी प्रकार बार्डर पार कराने का प्रयास करते हैं और बिहार में ले जाकर बेच देते हैं जहां से इन्हे ट्रक व कन्टेनरों में भरकर पश्चिम बंगाल पण्डुआ भेजा जाता है।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०स० 87/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि० अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना व जिला चन्दौली
गिरफ्तार अभियुक्त

1. सुनील प्रजापति पुत्र गुल्लू प्रजापति नि० जेवरी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली उम्र करीब 32
 2. आनन्द यादव पुत्र केशी यादव नि० जेवरी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली उम्र 25 वर्ष
 3. सूरज प्रजापति पुत्र स्व० बहादुर प्रजापति नि० जेवरी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली उम्र करीब 21 वर्ष
- बरामदगी-**

1. 01 टाटा मैजिक वाहन सं० UP65CT9535
2. 03 राशि गोवंश (03 राशि गाय)

गिरफ्तारी टीम का विवरण

1. राजेश कुमार सिंह प्र०नि० चन्दौली ।
2. उ०नि० राजेन्द्र यादव थाना व जिला चन्दौली ।
3. उ०नि० श्री रावेन्द्र सिंह थाना व जिला चन्दौली ।
4. हे०का० सन्तोष सिंह थाना व जिला चन्दौली ।
5. का० दिलीप कुमार थाना व जिला चन्दौली ।
6. हे०गा० महेन्द्र प्रकाश।